रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16052023-245892
CG-MH-E-16052023-245892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2092] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2023/वैशाख 26, 1945
No. 2092] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2023/VAISAKHA 26, 1945

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)
आदेश

नागपुर, 12 मई, 2023

का.आ. 2185(अ).—जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या - एस.ओ. 5481(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2021 जारी हुआ, जिसमें किसी भी थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के रेडियस में स्थित सभी कार्यरत खनन पट्टों में स्थित खनिज रहित गड्ढों में फ्लाई ऐश भरना और बाहरी डंप के साथ 25% की सीमा तक उसका मिश्रण करना अनिवार्य किया गया है।

जबकि डीजीएमएस और अन्य विनियामक प्राधिकरणों की विधिवत अनुमति से ऐसी सभी कार्यरत खानों के लिए सुरक्षा एवं सुसाध्यता संबंधी अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

अत: खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम-58 के अनुसरण में एतद् द्वारा 60 दिनों के भीतर इसका अध्ययन किये जाने का निर्देश दिया जाता है । आगे यह भी निर्देश दिया जाता है किजिस क्षेत्रीय खान नियंत्रक के क्षेत्राधिकार में उक्त पट्टा अवस्थित है, उस कार्यालय को अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जाये ।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

[फा. सं.एम-11024(एफएलवाय)/1/2022-सीसीओम-आईबीएमएचक्यु]

संजय लोहिया, महानियंत्रक प्रभारी

MINISTRY OF MINES

(Indian Bureau of Mines)

ORDER

Nagpur, the 12th May, 2023

S.O. 2185(E).—Whereas, Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued a notification S.O.5481(E) dated 31 December, 2021 mandating filling of fly ash in the mine voids and mixing of the same to the extent of 25% with the external dumps in all working leases located within 300 kms of radius from any Thermal Power Plant.

Whereas, a safety and feasibility study is required to be undertaken for all such operational mines with the due permissions from DGMS and other regulatory authorities.

Therefore, in pursuance to the Rule-58 of Mineral Conservation and Development Rules, 2017, it is hereby directed to undertake this study within a period of 60 days. It is further directed to submit a copy of the study report forthwith to the respective Regional Controller of Mines under whose jurisdiction the lease is located.

This order shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

[F. No. M-11024(FLY)/1/2022-CCOM-MDR-IBM_HQ]

SANJAY LOHIYA, Controller General (I/C)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA